



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 500/16

निर्णय दिनांक: 16.2.2018

1. रेवन्तराम पुत्र किरसनराम जाति नायक निवासी गांव धमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन, इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

कोलायत के चक 5 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 210/43 में किला नम्बर 1 ता 25 में 5.14 बीघा कमाण्ड व 18.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील 22-07-2016 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात् 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। लिहाजा अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील दिनांक 22-07-2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई का न्तर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. 15 अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 5 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 210/43 में किला नम्बर 1 ता 25 में 5.14 बीघा कमाण्ड व 18.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटन हेतु निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि हेतु चालान संख्या 90 दिनांक 11-09-2008 राशि 27780/- जारी किया गया। उक्त चालान को जारी करने के 10 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा चालान जमा करवाकर चालान की प्रति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी को दिनांक 11-08-2008 को चक 5 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 210-43 तादादी 5.14 बीघा कमाण्ड व 18.11 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 24.05 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है।

25 अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने हेतु नियमानुसार चालान भी जारी कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा न तो राशि जमा करवाते हुए चालान की प्रति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई व ना ही वह स्वयं अदालत मातहत के समक्ष

उपस्थित आया। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 11-08-2008 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ० राकेश कुमार शर्मा
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर